भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2149

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

डेयरी उद्यमिता विकास योजना

2149. श्रीमती भावना गवली (पाटील):

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) के प्रोत्साहन और पशुपालन और डेयरी उद्योगों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्यमिता के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में पशुपालन और डेयरी उद्योगों के विकास के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना और रोजगार सृजन योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस अवसर का लाभ उठाने वाले उद्यमियों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता और इसके तहत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) सितंबर 2010 से मार्च 2020 तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी।

डेयरी उद्यमिता का समर्थन करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग ने (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म (v) पशु चिकित्सा टीके और दवा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और (vi) पशु अपशिष्ट से सम्पति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत की है। ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) का लक्ष्य जुगाली करने वाले छोटे पशु, पोल्ट्री, सुअर पालन और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन करना भी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रजनक फार्मों की सहायता संबंधी एक घटक भी है।

(ग) वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित डीईडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या और नाबार्ड द्वारा संवितरित और बैक-एंडेड सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) डीईडीएस के तहत देश में 4,21,164 लाभार्थियों को बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में कुल 1892.29 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

****

अनुबंध

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान डीईडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या और नाबार्ड द्वारा संवितरित बैक-एंडेड सब्सिडी का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20		2020-21	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी सब्सिडी राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी सब्सिडी राशि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	2288	1496.26	932	641.04
2	अरुणाचल प्रदेश	57	96.25	35	46.41
3	असम	759	674.22	446	467.54
4	बिहार	294	183.57	657	280.56
5	चंडीगढ़	0	0	1	0.47
6	छत्तीसगढ	19	35.26	31	33.83
7	गोवा	2	0.88	7	5.44
8	गुजरात	627	2237.24	2071	1190.84
9	हरियाणा	162	155.07	399	317.77
10	हिमाचल प्रदेश	239	242.92	142	122.83
11	जम्मू और कश्मीर	696	371.06	1586	841.68
12	झारखंड	150	186.36	236	221.81
13	कर्नाटक	2037	893.22	2299	928.41
14	केरल	763	369.99	295	222.17
15	लक्षद्वीप	4	1.86		
15	मध्य प्रदेश	872	625.14	769	839.29
16	महाराष्ट्र	2332	1390.07	1222	597.45
17	मणिपुर	229	122.65	74	67.00
18	मेघालय	0	0	25	19.88
19	मिजोरम	18	24.11	74	60.34
20	नागालैंड	88	94.43	43	60.58
21	ओडिशा	748	323.51	894	389.25
22	पुदुचेरी	76	14.16	118	21.43
23	पंजाब	2065	1120.29	777	443.04
24	राजस्थान	2546	1535.93	1943	1367.98
25	सिक्किम	23	32.84	138	104.92
26	तमिलनाडु	3865	1011.23	2084	548.51
27	तेलंगाना	1240	948.75	428	498.56
28	त्रिपुरा	118	74.58	194	103.75
29	उत्तराखंड	638	388.11	649	318.00
30	उत्तर प्रदेश	4862	2923.63	3660	2333.72
31	पश्चिम बंगाल	901	760.11	831	689.46
	कुलः	**28718**	**18333.68**	**23060**	**13783.94**

नोट-डीईडीएस योजना को 01 अप्रैल 2020 से बंद कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में जारी की गई राशि वर्ष 2019-20 के दावों की संस्वीकृति से संबंधित है।